रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 145] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 25, 1971/ आश्विन 3, 1893
No 145] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 25, 1971/ASVINA 3, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 9th September 1971

SUBJECT:—*Grant of licences for import of raw materials and components to actual users in the small scale sector during April' 71—March' 72—items licensable on restricted basis.*

No. 116-ITC(PN)/71.—Attention is invited to para 46 of Section I of the Import Trade Control Policy (Red Book Vol. I) for the period April 1971—March 1972 wherein it has been laid down that the import of items shown as licensable to actual users on restricted basis will be allowed subject to the limits to be notified separately. It has been decided that, in respect of such items, import may be allowed subject to value limits or face value restrictions as indicated in the Appendix to this Public Notice.

2. Where a restricted item appears in the licences, issued to an actual user for different modes of financing against the same application and the licensee intend to import that item against one of these licences only, the request for suitable amendments will be considered on merits. In such a case, the licensing authority may endorse one of the licences making it valid for the import of that item for the aggregate value for which it was permitted against all the licences, and simultaneously delete the said item from the remaining licence(s).

3. In the case of Drugs and Medicines (Appendix 19), Dyes Intermediates (Appendix 24) and Chemicals (Appendix 28), in Section V, Vol. I of the Red Book for the period April 1971—March 1972, the lists of items which are not permissible to actual users and those which are permissible on a restricted basis have been given in the respective appendices. It is clarified that items which do not figure in the lists of non-permissible and restricted items, are to be taken as licensable to actual users without any face value restriction, provided that the applicants are otherwise eligible to the import of such permissible items in accordance with the policy and procedure in force. In respect of canalised items, only release orders will be issued.

APPENDIX

Face value restrictions/value limits in respect of items licensable on restricted basis.

S. No. & Part of the I.T.C. Schedule	Description of item	Percentage of face value restriction to the total value of the licence.
1	2	3
Part I		
16-A(ii) . .	Iron and steel and alloy steel rounds, rods, squares, Hexagons and sections in bright drawn, turned, ground and/or polished conditions.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
17(i) . .	(i) Cast iron foot valves above 300 mm dia.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
	(ii) Other types of valves and cocks.	Do.
17(ii)(a)	Boiler tubes and ERW (Electric resistance welded) tubes.	Do.
17(ii)(c)	Line pipes and tubes of API specifications.	Do.
17(ii)(d)	Seamless (alloy and cart on steel) pipes and tubes.	Do.
17(ii)(g)	Stainless steel pipes and tubes for manufacture of:—	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
	(i) Machinery required for pharmaceutical/ chemical /dairy products.	
	(ii) Textile processing machinery.	
	(iii) Electro-medical, surgical and medical instrument; and	
	(iv) Electrical circuit breakers and switch gear.	
7(iv)(a) .	Wrought Iron Steel Pipe fittings n.o.s. (Permissible items).	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
17(iv)(b) .	Other steel pipe fittings n.o.s. (permissible items).	

1	2	3
17(v)(a) . .	C. I. and Alloy Iron pipes below 75 mm O. D. (in consultation with DGTD).	10% of the face value of the licence or Rs.5,000/- whichever is less.
29.	Wire ropes for mines only . . .	Do.
36(c)	Boot & Shoe grindery the following: .	
	(a) Auto soler wire.	
	(b) Iron or steel stapling wires galvanised or black (excluding machine staples).	
	(c) Mild tacking wire.	Do.
	(d) Riand wire.	
	(e) Tacking wire.	
	(f) Screwing wire.	
	(g) Slugging wire.	
	(h) Wire required for lasting of boots and shoes.	
	(i) Machine tacks.	
38(b)	Intricate Nickel alloy castings for machine tools manufacturers for piece weight above 5 tonnes.	Do.
38-A(c)	Ship chains and Hoisting chains, viz., wrought iron and steel studl ink chains for anchoring, hoisting etc., including welded link chains and all other types of link chains and parts thereof.	Do.
39-A	Steel casting (unmachined) above10 M.T. pieceweight(In consultation with D.G.T.D.)	10% of the face value of the licence.
39-B	Alloy Steel casting (un-machined) above 3 M.T. piece weight.	10% of the face value of the licence.
40.	Unmachined steel forgings.	10% of the face value of the licence or Rs 10,000/- whichever is less.
41(ii)	Copper pipes and tubes of sizes (other than 18 mm O.D. to 100 mm O.D. having wall thickness of 22 S.W.G. and thicker.)	20% of the face value f the licence or Rs. 25,000 whichever is less.
42	Copper scrap whether ingotted or otherwise	10% of the face value of the licence
44(c)	Zinc granulations and dust	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- which ever is less.
46(b)	Nickel base alloys and nickel chrome alloys including manufactures and scraps thereof (this will also include Monel Metal rods/wires/strips.)	Do.
46(c)	Brass pipes and tubes of sizes (other than 18 mm O.D. to 100 mm O.D. having wall thickness or 22 S.W.G. and thicker.)	20% of the face value of the licence or Rs. 25,000/- whichever is less.
50	Monel Metal unwrought . . .	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
53(a)	Calcium Manganese silicon	Do.
57(c)	Industrial metallic coil springs, flat and other formed springs including precision springs but excluding hair springs for watches/clocks, etc.	5% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.

1	2	3
Part II		
7-A(b)	Asbestos based wire woven jointings, beater addition jointings, jointings required to withstand the action of strong acid/alkalies and jointings required to withstand refrigeration temperature.	10% of the face value of the licence or Rs. 5.000/- whichever is less.
7-A(c)	Asbestos based products for electrical insulation and products not otherwise specified. (Permissible type).	Do.
7-B	Non-asbestos packing and boiler all sorts not otherwise specified.	Do.
7-C	Steam, pneumatic and hydraulic non-asbestos packings for allmachinery.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whicheve is less.
8	Readymade boiler Non-asbestos packing.	Do.
9(a)	Machined Steel balls above 9/16" dia.	5% of the face value of the licence
9(b)	Precision steel balls conforming to I. S. Grades 2,1,0 corresponding to grades AFBMA 5,10,15 and 25.	Do.
9(c)(ii)	Forged steel balls of special types like hollow cast steel balls etc. (in consultation with D.G.T.D.)	Do.
9(g)	Roller/needle rollers other than banned types.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
11.	(i) German silver/Nickel silver scrap.	Do.
	(ii) German Silver/Nickel silver strips.	Do.
12	(1) 34 gauge and thinner gauge aluminium stripes in coils required for making antibiotic via-caps (for drugs and pharmaceutical industry.)	10% of the face value of the licence or Rs. 10,000/- whichever is less.
	(2) Aluminium strips of less than 12.5mm width for manufacture of zip fastners.	Do.
13	E. C. Grade aluminium.	Do.
	Sintored parts other than olite bushes.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- which ever is less.
17(a)(i)	(a) Ziroconium Silicate for Ceramic industry.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- which ever is less.
	(b) Rutile for Ceramic and electric welding industry.	Do.
	(c) Cadmium	75% of the face value of the licence.

1	2	3
17(a) (ii)	Non-ferrous electrodes, wires etc. (other than stellite and other similarc-balt bags hard facing alloys).	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
17(b)	(i) Farro alloys.	Do.
	(ii) Other special alloys including aluminium resistance alloys.	Do.
17(o)	Aluminium alloystrips of maximum 97-98% aluminium.	Do.
20(1)(a), (b) & (c)	(1) Slitting Saws and Slotting cutter of thickness below 1·6 mm.	Do.
	(2) Diamond wire drawing dies.	Do.
	(3) Taps and dies below 3 mm	Do.
20(2)(a)(ii)	Circular saws inclusive of insorted blades types.	Do.
21(1)	(1) Outside Micrometers of sizes over 100 mm and spares thereof.	Do.
	(2) Thread pluge gauges and Ring gauges.	Do.
	(3) Gauge Blocks (Slipgauges other than carbide Tip Slip gauges).	Do.
24(b)	Grinding wheels and sogments	Do.
4(c)	Nib slitting wheels for manufacture of fountain pens.	Do.
25(d)	(1) Carborundum and synthetic aluminium oxide (other than brown variety) abrasive grains of 300 mesh and finer size.	Do.
	(2) Brown synthetic aluminium oxide abrasive grains.	Do.
28(4)	V. Belts, B.C.D. Sections over 100" in circumstance of sizes other than those detailed in Appendix 23.	Do.
28(8)(b)	Steel aconveyer belts for manufacture of safety razor blades.	Do.
32(b)	Vertical spindle hollow shaft motors of rating not produced in the country (for pumps manufacture only).	5% of the face value of the licence.
32(d)	Variable speed motors and other non-flameproof motors which are required in the specialised types of textile machines (for textile mills/textile machinery manufacturing industry only).	Do.
32(h)	(a) Commutators for D.C. Motors upto 1 H.P.	5% of the face value of the licence or, Rs. 2,500/- whichever is less.
	(b) Carbon brushes other than special types of carbon burshes of odd sizes required as spares.	Do.

1	2	3
34(a)(i)	Special pumps for fused caustic soda or acid.	10% of the face value of the licence.
7(1)(f)	(a) 4 1/4" Pitch silver Spinning frame. (b) 4 1/4" Pitch Apron Draft Spinning Frame. (2) 5 1/2" Pitch silver Spinning Frame. (3) Finisher Dr/win" Frame (Sacking Weft) (4) Finisher Drawing Frame (Light Yarn). (5) Second Drawing Frame. (6) Sorowgill First Drawing Frame. (7) Jute cards and roll farmers (an attachement to the Jute Cards), the following: (i) Long jute Breaker Card Type JF2 (ii) Long Jute Finisher Card Type JF4 (iii) Cutting Jute Breaker Card Type JF1 (iv) Cutting Finisher Card Type JF3. (v) Cutting Teaser Card Type JF 10.	10% of the face value of the licence or Rs.5,000/-which ever is less.
41—4 . . .	(i) Graphite anodes required for electrolytic processes. (ii) Graphite electrodes for electric furnaces.	10% of the face value of the licence cr. Rs. 10,000/- whichever is less.
	(iii) Carbon pacte for electric furnaces.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/ whichever is less.
42(b)(i). . . .	Lightningarrostors of 220 K.V. only.	10% of the face value of the licence or Rs. 10,000. whichever is less
42(b)(iii) . .	Protective Relays.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
42(h)(iii) . .	Electric control gears and electric transmission gears—others	Do.
43(c) . . .	(i) Disc. Insulators of above 25,000 Lbs. EMS.	Do.
	(ii) Transformers bushing and apparatus insulators (of special types or design) of below 66 K.V.	Do.
45(c) . . .	Enamelled copper wire 44 gauges and finer gauges.	Do.
46(b) . . .	(i) Metal graphitie grad of carbon blocks including carbon blocks equivalent to Morgan's CM. 2 grade and metal impregnated graphite grade of carbon blocks.	10% of the face value of the licence.

1	2	3
	(ii) Graphite stopper head and colloidal graphite.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whic ever is less.
46(d) . . .	Flamepro of Lining bells and flame proof mining telephones.	Do.
48-A . .	Electric exploders and parts thereof.	Do.
Part III		
1(c)(ii) . . .	Optical whitening Agents for processing synthetic fibres like polyester and acrylic fibres (Import allowed on the recommendation of Textile Commissioner, Bombay).	Do,
1(d)(i)	Wetting out penetrating, dispersing scouring and Emulsifying Agents (Import of only special produced for manufacture of drugs, pharmaceuticals, insecticides and pesticides rayon Synthetic fibres, synthetic rubber and polymers is allowed.	
1(d)(iv) . .	Synthetic Bleaching Agents (other than bleaching powder or hypochlorites, hydrogen peroxide etc.)	Do.
5—A . . .	Silk belting cloth (for roller flour mills, starch units, refined guar gum units and emery grain/powder manufacturers).	Import will be allowed on the recommendation of DC (SSI) in the case of SSI units and on the recommendation of D.G.T. D. in the case of other units.
Part IV		
37 . . .	Cocoa beans	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
41 . . .	Hops	Do.
49(a)(ii). . .	Dammer gum for manufacture of liquid gold.	10% of the face value of the licence.
97 . . .	China clay of special grades required for end uses other than art and chrome paper.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less
103 . . .	Pumice stone and rubber stone for manufacture of all metal rods and steel rods (on the recommendation of the Textile Commissioner, Bombay).	Do.
**1(d)(vi) . .	Sodium Aliginate (For manufacture of Dental Products and for Latex industry).	Do.
127—129 . .	(i) Citronella oil for manufacture of Aromatic chemicals namely Geraniol, Citrenellol and Hydroxy citrenellol.	20% of the face value of the licence or Rs. 10,000/- whichever is less.

1	2	3
	(ii) Orange oil for manufacture of flavouring essences and perfumery compounds.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
	(iii) Natural essential oils for manufacture of scented and chewing tobacco.	Do.
130 . .	Essential oils, synthetic . . .	Do.
138. . .	Glue not otherwise specified excluding bolt dressing.	Do.
159(b) . . .	Filter paper for the uses other than:—	
Appendix 16 . .	(1) Gravimetric and chromotographic analysis in research laboratories.	Do.
	(2) Filters for automobiles and other internal combustion engines.	Do.
160 . . .	Glassine paper.	Do.
Appendix 16 . . 177	(For certain specified end-products) Nylon yarn and thread (except industrial nylon yarn) and polyester filament yarn.	To be released on the recommendation of the sponsoring authority.
244 . . .	Sheet glass above 6·5 mm and below 0·8 mm thickness for end uses other than cover slips.	20% of the face value of the licence
248(c) . .	(i) Lead glass for lamp manufactures.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
	(ii) Hard glass	Do.
	(iii) Quartz glass	Do.
	(iv) Bulb glass tubing.	Do.
286(b) . .	Letter types for type-writers.	20% of the face value of the licence.
305 . . .	Photographic instruments, apparatus and appliances, other than cinema, all sorts, n.e.s. and parts thereof.	Import of photographic instruments, apparatus and appliances will be permitted in consultation with DGTD.
337 . . .	Empty hard gelatine capsules of sizes other than 3, 4 and 5.	40% of the face value of the licence or Rs. 20,000 whichever is less.
Part V		
6 . . .	Synthetic tanning agents.	10% of the face value of the licence.
13 . . .	Essences containing spirit used for the manufacture of beverages.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.

1	2	3
17(c) Appendix—18.	Liquid paraffin (including) medical liquid paraffin).	5% of the face value of the Licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
34—37(d)	Raw materials for paints :—	
Appendix—29	(a) Antimony oxide (Painters grade)	10% of the face value of the licence.
	(b) White spirits/Mineral Turpentine,	Do.
	(c) Solvent Naptha (Light & Heavy)	Do.
Appendix—24 & Appendix—29.	Pigments dyestuffs and cosmetic colours, the following :—	

Pigment Dyestuffs	*Colour Index No.*	
1. S. F. Red F2R	12310	Import of these items will be allowed for an aggregate value upto 10% of the face value of the licence or Rs.5,000/- whichever is less.
2. S. F. Maroon	12350	
3. Persian Orange	15510	
4. Lake Scarlet.	16105	
5. Lake Golden Yellow	19140	
6. Peacock Blue.	42090	
7. Cerise Toner	45170	
8. Yellow Green Toner.	49010	
9. Lake Madder	58000	
10. Lake Magenta	No. CI no	
11. Crimson Toner	12825	
12. Permanent Orange 2R	12075	
13. S. F. Red F4RH	12420	
14. Rubber Blue GNS	No. CI No.	
Cosmetic colours.		
1. Deep Red.	12350	
2. Lake Yellow (Tartrazine)	19140	
3. Dibromo fluerescein	45370	
4. Cosmetic Rubine	45170	
5. Cosmetic Green Oxide	77288	
6. Cosmetic Black Oxide	77499	

34—37(b)	Blanc Fixe (for manufacture of acid resisting cement.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
41(ii)	Giant motor, motor cycle tyres, tubes, and flaps, bicycle tyres and tubes, and industrial tyres, tubes and flaps including solid tyres but excluding tractor and off-the-road tyres and tubes. (Permissible types)	Do.
441(iii)	Tractor and off-the-raod tyres, tubes and flaps excluding other types of tyres and tubes and flaps specified elsewhere. (Permissible types).	Do.
1(v)	Rubber Battery Containers (for battery manufacturers).	5% of the face value of the licence.
(v)	Rubber thread upto 60 gauge of heat resisting quality.	20% of the face value of the licence.

1	2		3
41(vii)	Full circle collapsible curing bags.		10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
41(ix)	(1) Rubber Battery and PVC separators.		Do.
	(2) Plastic cloth in running length including in tabular form with width not exceeding 3".		Do.
42(a)(i)	*Types of woods*	*End-use*	
	(i) Persimmon wood (in consultation with Jute Commissioner, Calcutta).	Shuttles for jute industry.	Do.
	(ii) Beach, wood, Douglas fir (in consultation with Jute Commissioner, Calcutta)	Jute Mill wooden accessories other than jute mill, picking sticks, bobbins, box backs, lay races, loomhlay blocks and shuttles.,	Do.
	(iii) Birch, Beach, Maple and Douglas fir (in consultation with Textile Commissioner, Bombay)	Bobbins for textile industry	Do.
	(iv) Ash, Mulbery beach wood.	Sports goods.	Do.
47	Raw Wool maintenance of		To be released on the recommendation of the sponsoring authority.
65(6)(a)(iii)	Spare parts required for** imported office machines and for replacement of parts of indigenous machines having imported components.		10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
68(b)	Rubber hoses required for the Oil Companies in Consultation with DGTD)		Applications will be considered in consultation with DGTD.
76(c)	Needles for all industrial sewing machines except those which are banned.		5% of the face value of the licence or Rs. 1·250/- whichever is less.
78(ix)	(1) PH meters electrodes.		10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
	(2) PS motors.		
	(3) Ultrasonic devices including ultrasonic flaw detectors.		Applications will be considered in consultation with the DGTD.
79	(i) Diagnostic equipment over and above 500 MA capacity and.		Applications will be considered in consultation with DGTD (instruments Dte).
	(ii) X-Ray, therapy, gamma ray therapy equipment.		

1	2	3
93—9.4(a)(iv) . .	(a) Rough Blanks other than bifocal blanks.	75% of the face value of the licence.
101 . . .	(1) Cellulose acetate flakes.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
	(2) *Cellulose acetate sheets/films.*	
	(i) For manufacture of spectacle frames	50% of the face value of the licence.
	(ii) For manufacture of shoe laces.	10% of the face value of the licence.
	(iii) For manufacture of other end uses	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
111 . . .	Phenol formaldehyde moulding powder.	5% of the face value of the licence
113 . . .	Pearlascent variety of acrylic plastic sheets (for button manufacturers)	25% Do.
113-F . . .	Plyvinylidene chloride	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
113-G. . .	Polyvinyl formal and polyvinyl acetol.	Do.
113-I . . .	PVC resins for manufacture of storage batteries.	Do.
113-K . . .	(i) PTFE tube	Do.
	(ii) Special Industrial components.	10% of the face value of the licence or Rs. 10,000/- whichever is less.
114 . . .	Pyrotechnic aluminium . . .	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
116(ii) . . .	Synthetic Ion Exchange Resins. .	10% of the face value of the licence or Rs. 10,000/- whichever is less.
116(iv) . . .	Epoxy Resins.	20% of the face value of the licence or Rs. 10,000/- whichever is less.
122(i) . . .	(1) Polyster film for industries other than metallic yarn.	10% of the face value of the licence
	(2) Polyester laminated films.	15% Do.
	(3) Polyester metallised films.	15% Do.
	(4) Other items falling under this sub-S. No. 122(i)/V allowed on restricted basis.	10% Do.

1	2	3
122(ii)	Fluorspar	
	(i) Acid Grade Fluorspar for the manufacture of Vitreous Enamel frit.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
	(ii) Acid Grade Fluorspar for steel coating foundries (in consultation with D.G.T.D.)	Do.
	(iii) Acid grade fluorspar (for aluminium smelters.)	Applications will be considered in consultation with the Department of Metals.
122(ix) . . .	Cryelite.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
122(xi) . . .	Flint Stones (for lighter industry and for manufacture of mechanical toys).	Do.
122 (xv)	Synthetic non-cellulose fibres including Polyester fibre.	To be released on the recommendation of the sponsoring authority.
122 (xxv)	(1) Polypropylene for manufacture of combs.	20% of the face value of the licence.
	(2) Other items falling under this S. No. except Nylon Moulding powder, the import of which is canalised through STC for meeting the requirements of actual users).	50% of the face value of the licence.
122 (xxix)	Filter aids for end-products other than Lead acid storage batteries.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
122 (xxxii)	Fibre glass Sleevings and Glass Wool mat for manufacture of Storage Batteries	Do.
122 (xii)	Alabaster	20% of the face value of the licence.
122 (xlix)	Polyster films for conversion into stamping foils.	10% of the face value of the licence
122 (l)	Yeast food and yeast culture .	Do.
122 (li)	Items falling under this sub. S. No. except those mentioned against remarks (1) and (3) under column 4 against this S. No.	Do.

1	2	3
87·109/IV Appendix 19	(1) Sulphadimidine (Sulphamathazine)	Release orders will be issued by the State Drugs Control authorities on the Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.
	(2) Amidopyrine	
	(3) Analgin	
	(4) Phenobarbitone	
	(5) Piperazine and its salts	
	(6) Streptomycine Sulphate	
	(7) Tetracycline base and tetracycline hydrochloride.	
	(8) Chloremphenicol powder	Release orders will be issued by the State Drugs Control authorities on the S.T.C.
	(9) Chloramphenical palmitate	
	(10) Chloramphenicol succinate	
	(11) Absorbable gelatine sponge	21/2% of the face value of the licence.
	(12) Acetarsol	Do.
	(13) Aluminium glycinate	Do.
	(14) Aluminium hydroxide gel.	Do.
	(15) Calcium D-Sacoharate	Do.
	(16) Calcium Gluconate injectable grade only.	Do.
	(17) Calcium lactate	10% of the face value of the licence.
	(18) Calamine	Do.
	(19) Glycerophosphoric acid and its salts	2 1/2% of the face value of the licence.
	(20) Heparine	Do.
	(21) Liquid Paraffin of Pharmacapaeial grade	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less
	(22) Lanolin (Adope Lanae)	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
	(23) Niketharnide	10% of the face value of the licence.
	(24) Phenyl Butazone and its salts	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
	(25) Potasium Hydrogen Tartrate (Cream tartar).	2 1/2% of the face value of the licence.
	(26) Potassium, sodium tartrate (Roehelle salt).	Do.
	(27) Potassium Iodide	Do.
	(28) Procaine Hydrochloride	Do.
	(29) Silver protein, mild and strong	2 1/2% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is elss.
	(30) Sodium Iodide	2 1/2% of the face value of the licence.
	(31) Suceinyl Choline Chloride	Do.
	(32) Thymol	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less
	(33) Vitamins D2 and D3	2 1/2% of the face value of the licence.

1	2	3
Appendix 19—*contd.*	(34) Vitamin K (Menadions, Menadione Sodium Bisulphite and Acetomenaphthone).	2 1/2% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less. [The existing description of this item shown as "Vitamin K (Menadione, Menabisulphite and Acetonenaphthone may be amended to read as indicated in column 2].
1-B/III (Appendix 24)	Dyes intermediates, the followings :—	
	(1) Beta Napthol . . .	20% of the face value of the licence.
	(2) Naphthionic Acid/Sodium Naphthionate.	10% of the face value of the licence.
	(3) Acete Acet Ortho Toluidide .	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
	(4) P-toluidine-5-Sulphonic & Acid/ Sodium Salt.	5% of the face value of the licence.
	(5) Acetoacet-o-anisidide . . .	2 1/2% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is less.
	(6) Acetcacet-M-Xylidide . . .	Do.
	(7) Acid Anthranilic	5% of the face value of the licence.
	(8) 1-Amincenthraquinone . . .	10% Do.
	(9) Amino Iso Gamma Acid .	5% Do.
	(10) 1.Amino-2-Naphthol 4-Sulphomic Acid.	5% Do.
	(11) 1-Amino 6-Nitro 2-Nephthol 4-Sulphonic Acid.	5% Do.
	(12) Anthraquinone	10% Do.
	(13) o-Anisidine	20% Do.
	(14) p-Anisidine	20% Do.
	(15) Benzoly-J-Acid . . .	5% Do.
	(16) Beta-oxgnaphthoic Acid (B.O.N. *m*did)	20% Do.
	(17) 3-Carboxy-1 (p. Su.lphophenyl)-5-Pyrasolone.	5% Do.
	(18) Chicago Acid . . .	10% Do.
	(19) C. Acid (2-Chloro-5-Toluidine-4-Sulphonic Acid and its Sodium and potassium salts.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less. [The existing description of this item shown as 'Chicago Acid (2-Choloro-5-Toluidine 4-Sulphonic Acid and its sodium and potassium salts) may be amended to read as indicated in column 2].

1	2	3

Appendix 24—(*Contd.*)

(20) 1-Cholorcanthrquinone	10% of the face value of the licence	
(21) 4-Chloro-2-Nitroaniline	10%	Do.
(22) 5-Chloro-o-toluidine	5%	Do.
(23) 1-4 Diamino-Anthraqraquinone	10%	Do.
(24) 1-5 Diaminoenthraquinone	5%	Do.
(25) 2-6 Diamino-Anthraquinone	10%	Do.
(26) 1:5 Dibonzoyl Naphthalene	5%	Do.
(27) 2:5 Dichloroeniline	5%	Do.
(28) Diethyl Meta Aminophenol	20%	Do.
(29) Di-J-Acid	5%	Do.
(30) 2:5 Dimethyl-4-Chlorophenyl Throglycolic Acid	5%	Do.
(31) Diphenylamine	20%	Do.
(32) G-Salt	10%	Do.
(33) Gamma Acid	10%	Do.
(34) H-Acid	20%	Do.
(35) J-Acid	20%	Do.
(36) J-Acid Urea	10%	Do.
(37) Laurenti's Acid	5%	Do.
(38) M-Chlorbaniline	5%	Do.
(39) N. W. Acid	10%	Do.
(40) Napthol ASG	20% of the face value of the licence or Rs. 10,000/- whichever is less.	
(41) 2-Naphthyl Thioglycolic Acid	5% of the face value of the licence	
(42) o-Nitroanisole	5%	Do.
(43) p-Chloroeniline	5%	Do.
(44) p-Nitroanisol	5%	Do.
(45) o-Chloroaniline	5%	Do.
(46) Para Amino Benzoic Acid	5%	Do.
(47) Para Nitro Benzoic Acid	5%	Do.
(48) Para Toluidine Meta Sulphonic Acid (PTMS)	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.	
(49) Peri Acid	5% of the face value of the licence.	
(50) Phenyl J. Acid	10%	Do.
(51) Phenyl Peri Acid	10%	Do.
(52) Quinnizarine (1, 4-dihydroxy anthraquinone).	5%	Do.
(53) Resorcinol	5%	Do.
(54) Rhoduline Acid	5%	Do.
(55) R. Salt	5%	Do.

1	2	3
Appendix-24 —(*Concld*)		
	(56) Seaeffer's Acid	10% of the face value of the licence.
	(57) Tobias Acid	10% Do.
	(58) o-Toluidine	20% Do.
	(59) p-Toluidine	20% Do.
2, 31/V (Appendix 28)	(1) Cyno Pyridine	Release orders will be issued by the State Drugs Control authorities on the S.T.C.
	(2) Endrin (in secticide)	50% of the consumption of this item duly certified by a Chartered Accountant or Cost Accountant or the sponsoring authority.
	(3) Octanol/Iso-Octanol/2-Ethylhoxanol	10% of the face value of the licence.
	(4) Phthalic anhydride . . .	10% of the face value of the licence.
	(5) Vinyl chloride	2 1/2% Do.
	(6) Potassium chloride (industrial grade)	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
	(7) Citric acid	20% of the face value of the licence.
	(8) Pyridine base and pyridine technical	5% Do.
	(9) Acetanilide	5% Do.
	(10) Acetic Acid	2 1/2% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is less.
	(11) Acetic anhydride	10% of the face value of the licence.
	(12) Acetyl Acetone	10% Do.
	(13) Acid Anthranilic	5% Do.
	(14) Activated Carbon	5% Do.
	(15) Alpha Pinene	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
	(16) Aluminium Fluoride . . .	Do.
	(17) Ammonium Nitrate of explosive grade.	2 1/2% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whicheve is less.
	(18) Ammonium Thiocyanate(also known as Ammonium Sulphocyanide, Thiocyanate of Rhosnide)and Rhodanatum).	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.

1	2	3

Appendix 28 —*contd.*

(19)	Amyl Alcohol (Import of Iso Amyl Alochol for milk testing quality will be allowed without face value restriction).	10% of the face value of the licence.
(20)	Antimony Oxide . . .	10% Do.
(21)	Argon gas spectrosocopically pure 99·99%.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
(22)	Arsenic Trioxide and Arsenic Pentoixde.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
(23)	Benzyl Alcohol .	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
(24)	Benzoic Acid .	20% of the face value of the licence.
(25)	Benzyl Acetate . . .	5% of the face value of the licence.
(26)	Benzotrichloride . . .	10% of the face value of the licence.
(27)	Benzyl chloride . . .	5% of the face value of the licence.
(28)	Benzoyl Peroxide . . .	2-1/2% of the face value of the licence.
(29)	Bisphenol . . .	2-1/2% of the face value of the licence.
(30)	Bromine	20% of the face value of the licence.
(31)	Butyl Alcohol (Butonol) excluding normal Butyl alcohol.	2-1/2% of the face value of the licence.
(32)	Butyl. Titanate . . .	5% of the face value of the licence.
(33)	Dontifrico Grade of precipitated calcium carbonate.	5% of the face value of the licence. (The existing description of this item shown as a Calcium carbonate precipitated and activated (dentifrice grade), may be amended to read as indicated in column 2).
(34)	Case hardening compounds .	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
(35)	Chlorinnted paraffine .	20% of the face value of the licence.

1	2	3

Appendix 28—*Contd.*

(36) Dichloro Benzene	.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- which ever is less.
(37) Diallyl Phthalate (DAP)	.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whicheve is less.
(38) Didecyl Phthalate (DIDP)		2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is less.
(39) Dinonyl Phthalate (DRP)	.	2½% of the face value of the licence r Rs. 1,250/- whichever is less.
(40) Dichloro difluoro methane gas and its modified products used for refrigeration and air conditioning purposes excluding Fluoro Carbon 22 and mixtures thereof.		10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
(41) Diethyl Phthalate	.	2½% of the face value of the licence.
(42) Dinothyl Sulphate	.	2 1/2% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is less.
(43) E.D.T.A. and its sodium salts	.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
(44) Ethyl Aceto-acetate or aceto acetic oster.		10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
(45) Esters of parahydroxy Benzoic Acid (Methyl Ethyl and Propyl)		2½% of the face value of the licence.
(46) Ethylene glycol including di and poly glycol		1/2% of the face value of the licence.
(47) Ethylene Urea		10% of the face value of the licence.
(48) Formaldehyde	.	2½% of the face value of the licence.
(48-A) Fumaric acid	.	50% of the face value of the licence.
(49) Furfural	. . .	10% of the face value of the licence.
(50) Gold cyanide, potassium/sodium gold cyanide, copper cyanide, zinc cyanide and silver cyanide.		10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-whichever is less.

1	2	3
Appendix 28—*Contd.*		
(51) Hexamine or pharmacopeal/technical grade or its 'Synonyms. e.g, Hexamothylene, totramine, Mothanamine, Ammoformn, Formin, Cystamin, Cystogen, Hexamethyl enam.ne, Aminoform, Uritone, Urotropin.		2½% of the face value of the licence.
(52) Hydrogen Peroxide		5% Do.
(53) Isobutyl Alcohol		2½% Do.
(54) Isopropyl (acetate)		5% of the face value of the licence or Rs 2,500/- whichever is less (The existing description of this item shown as "Isopropyl (Organic aceate)" may be amended to read as indicated in column 2).
(55) Iso Propyl Ether		5% of the face value of the licence.
(56) Laboratory and reagent chemicals the following :—		
(*i*) Methyl Iodide pure quality		
(*ii*) Potassium Amyl Xanthate		
(*iii*) Potassium Ethyl Xanthate		10% of the face value of the
(*iv*) Potassium metabisulphite analar quality		licence or Rs. 5,000/- which is less.
(*v*) Sodium Bisulphite, pure and analar quality.		
(*vi*) Sodium Ethyl Xanthate		
(*vii*) SodiumIso Propyl Xanthate		
(*viii*) Sodium metabisulphite, pure and analar quality.		
(57) Laural Peroxide		2½% of the face value of the licence.
(58) Magnesium carbonate light and magnesium insulating materials.		10% of the face value of the licence or Rs 5,000/- whichever is less. (Import of Magnesium oxide minimum 97% will, however, be allowed upto 10% of the licence).
(59) Metallic Acetates (except Sodium and potassium acetates which are banned for import).		10% of the face value of the licence (The existing description of this item shown as "Metallic acetates" may be amended to read as indicated in column 2).

1	2	3

Appendix 28—*Contd.*

(60)	Meta substituted Alkyl phenol (cardanol)	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichver is less.
(61)	Methyl Ethyl Ketone Peroxide	2 1/2% of the face value of the licence orRs. 1,250/- whichever is less.
(62)	Metol . . .	5% of the face value ofthe licence or Rs. 2,500/- whichver is less.
(63)	Monochloro Acetic Acid and its sodium salts.	2-1/2% of the face value of the licence or Rs.1,250/- whichever is less.
(64)	Mono Chloro Benzene .	2:1/2% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is less.
(65)	Muck Ketone . . .	20% of the face value of the licence.
(66)	Methanol technical .	2 1/2% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is less.
(67)	Naphthalene .	10% of the face value of the licence.
(68)	Orth Toluene Sulphonamide	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
(68-A)	Ortho Dichloro Benzene .	Do.
(69)	Phenyl acetic acid .	20% of the face value of the licence or Rs. 10,000/- whichever is less.
(70)	Phenyl acetamide	2-1/2% of the face value of the licence orRs. 1,250/- whichever is less.
(71)	Palladium Chloride	5% f the face value of the licence or Rs.2,500/- whichever is less.
(72)	Para Hydroxy Benzoic Acid	2-1/2% of the face value of the licence.
(73)	Phenatidine and para Phenatidine	10% Do.
(74)	Phenery Acetic Acid and its salts.	10% Do.
(75)	Phosphoric Acid	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
(76)	Phosphorous pentoxide	Do.
(77)	Picelines, Beta and Gamma	Do.
		2-1/2% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is less.
(78)	Potassium bicarbonate	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.

1	2	3

Appendix 28—*Contd.*

(79)	Potassium carbonate	2 1/2% of the face value of the licences or Rs. 1250/- whichever is less.
(80)	Potassium Silicate	10% of the face value of licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
(81)	Resorcinol	5% of the face value of the licence.
(82)	Rubber Chemicals e.g. accelerators, antioxidants, retarders, peptisore, reclaiming agents and blowing agents (other than Hexamine type).	10% of the face value of the licence or Rs.5,000/- whichever is less.
(83)	Sodium Azide	Do.
(84)	Sodium Chlorate	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
(85)	Sodium Silice Fluoride	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
(86)	Solvent Naphtha (Light and Heavy)	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 - whichever is less.
(87)	Strontium Carbonate	5% of the face value of the licence.
(88)	Styrene	2 1/2% of the face value of the licence.
(89)	Succinates Acid	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
90)	Succinates	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
(91)	Sulfamic acid	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
(92)	Submerged arc welding fluxes	5% the face value of the licence.
(93)	Tetrasodium pyrophosphate and other polyphosphates of sodium	10% of the face value of licence or Rs. 5000/- whichever is less.
(94)	Terponcol	10% of the face value of the licence.

1	2	3
Appendix 28—*concld.*		
	(95) Tricresyl Phosphate	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
	(96) Trisodium phosphate	2 1/2% of the face value of the licence or Rs. 1250/- whichever is less.
	(97) Glycerine	10% of the face value of the licence.
	(98) Phosphorous (Amorphous) i.e. white/yellow phosphorous	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
Appendix 45	Clock oil for manufacture of pendulum clocks.	Do.
Appendix 46	The following raw materials components for manufacture of storage batteries. 1. Pig Lead 2. Antimony 3. Antimony ore 4. Antomonial lead 5. Arsenical Antimonial lead alloy 6. Special grade PVC resin(for manufacture of PVC separator only) 7. Glass wool mats (for the manufacture of rubber separator only). 8. Battery separator 9. Micor Sulphur 10. Pure tin 11. Copper ingot/Copper bar 12. Red lead (for manufacture of Aircraft batteries only.)	Individual item will be allowed upto 10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
Appendix 47	The following raw materials/components for manufacture of dry battery cells :— 1. Special PVC strips and sleeves 2. Zinc in the form of ingot, Calots and sheets. 3. Mercury 4. Cadmium metal. 5. Battery contacts and terminal parts for special purpose. 6. Lead Ingot	Individual item will be allowed upto 10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.

1	2	3
Appendix 48	(A) For manufacture of drinking water coolers.	
	(1) Tin	5% of the face value of the licence.
	(2) Overload protector	10% Do.
	(B) For manufacture of Freezers below O° C above 1/3 HP to 3/4 HP compressor.	30% Do.
	(C) For manufacture of Room Air-conditioners.	
	(1) Thermostats above 8 amps (for manufacture of 1-1/2 ton Air Conditioner).	5% Do.
	(2) Piano switch	5% Do.
	(3) Electrolytic Start Capacitors	10% Do.
	(D) For manufacture of sealed compressors 1/8 to 7 1/2 H.P.	
	(1) Copper wire 47GA for manufacture of relay.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
	(2) Phosphor Bronze sheets/strips	Do.
	(3) Beryllium copper sheet/strips	Do.
	(4) Bi-metal strips	Do.
	(E) For manufacture of open type/ compressor 1/2 H.P. and above.	
	Special bearing metal for bearings	5% of the face value of the licence.
	(F) For manufacture of Bottle coolers, beverage coolers :— Overload protector . . .	Do.
Appendix 49	For manufacture of House service motors.	
	(a) *Components*	
	Jewel bearings .	10% of the face value of licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
	(b) *Raw Materials*	
	(1) Zinc . . .	Do.
	(2) Tin	Do.
	(3) Lead	Do.

NOTE.— In the case of units eligible to preferred sources of supply on the basis of their export performance, the maximum value limit of Rs. 5,000/- or below as indicated against the individual items will be doubled.

In respect of items for which the maximum value limit is more than Rs. 5,000/- but not more than Rs. 10,000/- it will be raised to Rs. 10,000/- for such exporting units.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 9 सितम्बर 1971

विषय: प्रतिबन्धता के आधार पर लाइसेंस दिये जाने योग्य मदों के लिये अप्रैल, 1971-मार्च 1972 अवधि के दौरान लघु उद्योगों के वास्तविक उपयोक्ताओं को कच्चे माल और संघटकों के आयात के लिये लाइसेंस प्रदान करना।

सं० 116 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71—अप्रैल, 1971 मार्च, 1972 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक व 1) के खंड I की कंडिका 46 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि उन मदों के आयात की स्वीकृति दी जाएगी जिनको वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए प्रतिबन्धता के आधार पर लाइसेंस दिए जाने के लिए प्रदर्शित किया गया है, किन्तु ये सीमाओं के अधीन है जिसकी घोषणा अलग से की जाने वाली है। इन मदों के सम्बन्ध में यह निश्चिय किया गया है कि इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध में संकेत किए गए के अनुसार आयात की स्वीकृति मूल्य सीमाओं या अंकित मूल्य प्रतिबन्धता के आधार पर दी जा सकती है।

2. जहां एक ही आवेदन-पत्र के लिए एक वास्तविक उपयोक्ता को अर्थयुक्ता किए जाने की विभिन्न विधियों के लिए लाइसेंस जारी किए गए है और उनमें प्रतिबन्धित-मद शामिल है तथा लाइसेंसधारी इन लाइसेंसों में से किसी एक लाइसेंस के मदे उस मद का आयात करना चाहता है तो उसमें उपयुक्त संशोधन के लिए किए गए आवेदन पर पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकारी सभी लाइसेंसों के लिए स्वीकृत किए गए सम्पूर्ण मूल्य के लिए उस मद के आयात के लिए लाइसेंस को बंध करते हुए उनमें से एक लाइसेंस को पृष्ठा अंकित कर सकते हैं, और इसके साथ साथ उपर्युक्त मद को शेष लाइसेंसों से निकाल सकते है।

3. अप्रैल, 1971-मार्च, 1972 के लिए रेडबुक के खंड 5, वा 1 में औषधियों तथा दवाओं, (परिशिष्ट—19), डाइज इमेडिएटस (परिशिष्ट 24) और रसायन (परिशिष्ट 28) के मामले में उन मदों की सूचियांजो वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए स्वीकृत नही हैं और वेजो प्रतिबंधिता के आधार पर स्वीकृत है उन्हें क्रमिक परिशिष्टों में दे दिया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि वे मदे जो अस्वीकृत और प्रतिबन्धित की मदों की सूची में नही आती है तो वे बिना किसी अंकित मूल्य प्रतिबन्धता के वास्तविक उपयोगताओं के लिए लाइसेंस दिए जाने योग्य हैं, बशर्ते कि लागू नीति और प्रक्रिया के अनुसार इस प्रकार की स्वीकृत मदों के आयात के लिये आवेदन अन्यथा रूप से उपयुक्त हैं। सरणीबद्ध मदों के सम्बन्ध में केवल निकासी आवेदन आदेश जारी किए जाएंगे।

परिशिष्ट

प्रतिबन्धता के आधार पर लाइसेंस दिए जाने योग्य मदों के सम्बन्ध में अंकित मूल्य प्रतिबन्धता/मूल्य सीमा ।

आई टी सी अनुसूची क्रम संख्या और भाग	मद का विवरण	लाइसेंस के कुल मूल्य के लिए अंकित मूल्य प्रतिबन्धिता का प्रतिशत
1	2	3
भाग–1 16ए–(2)	लोहा और इस्पात तथा मिश्रित धातु इस्पात राउन्ड्स, राड, स्क्वेयर्स, राड हेक्सागान्स और सैक्शन्स इन ब्राइट ड्रान, टर्नड ग्राउन्ड और/या चमकाई हुई दशा में ।	लाइसेंस मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये या इनमें जो कम हो ।
17(1)	(1) 300 मि० मी० क्रास से ऊपर के कास्ट आयरन फूट वाल्व्स ।	वही
	(2) अन्य प्रकार के वाल्व्स और कास्स	वही
17(2)(ए)	ब्यालर ट्यूब्स और ई आर डब्ल्यू (इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड) ट्यूब्स ।	वही
17(2)(सी)	ए० पी० आई० विशिष्टकरण के लाइन पाइप्स और ट्यूब्स ।	वही
17(2)(डी)	सिमलेस (मिश्रितधातु तथा कार्बन इस्पात) पाइप्स और ट्यूबस ।	वही
17(2)(जी)	निम्नलिखित के निर्माण के लिए जंगारोधी इस्पात पाइप्स तथा ट्यूबस :–	वही
	(1) औषधीय / रासायनिक / डेरी उत्पादों के लिए मांगी गई मशीनें ।	
	(2) वस्त्र संसाधन मशीन ।	

1	2	3
	(3) इलेक्ट्रो-मेडीकल, शल्य चिकित्सा उपकरण; और (4) इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर्स तथा स्वीच गीयर।	
17(4)(ए)	गढ़ी हुई लोहा इस्पात पाइप फिटिंग्स अन्यत्र विशिष्टिकृत नहीं (स्वीकार्य मदें)	लाइसेंस मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये या इनमें जो कम हो।
17(4)(बी)	अन्य इस्पात पाइप फिटिंग्स अन्यत्र विशिष्टिकृत नही (स्वीकार्य मदें)	
17(5)(ए)	75 मि० मी० ओ० डी० से कम सी० आई० और मिश्रितधातु लोहा पाइप (डी०जी०टी०डी० के परामर्श से)	वही
29	केवल खनन के लिए वायर पाइप।	वही
36(सी)	निम्नलिखित बूट और जूता ग्रिडरी:- (ए) आटो सोलर वाइर। (बी) आयरन या स्टील स्टेपलिंग वायर जस्तेदार या ब्लैक (मशीन स्टेप्ल्स को छोड़कर)। (सी) माइल्ड टैकिंग वायर। (डी) रियन्ड वायर। (ई) टैकिंग वायर। (एफ) स्क्रूविंग वायर। (जी) स्लगिंग वायर। (एच) बूट और जूतों की लास्टिंग के लिए अपेक्षित वायर। (आई) मशीन टैक्स।	वही
38(बी)	5 टन से अधिक पीस वेट के लिए मशीन टूल के निर्माण के लिए इन्ट्री-केट निकल एलाय कास्टिंग।	वही

1	2	3
38–ए० (सी)]	वेल्डेड लिंक चेन और अन्य सभी प्रकार की लिंक चेन तथा उसके पुर्जे सहित एन्कोरिंग, हायस्टिंग आदि के लिए शिपचेन और हायस्टिंग चेन अर्थात् ग्रेड आयरन और स्टील ।	लाइसेंस मूल्य का 10 प्रतिशत या 500 ० या इसमें जो कम हो ।
39–ए	10 मैट्रिक टन पीस वेट से ज्यादा स्टील कास्टिंग (बिना मशीनीकृत किए हुए) (डीजीटीडी के परामर्श से)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
39–बी	3 मैट्रिक टन पीस वेट से ज्यादा एलाय स्टील कास्टिंग (बिना मशीनी कृत किया हुआ)	वही
0	बिना मशीन कृत स्टील फोर्जिंग्स।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 1000 रुपये इसमें जो भी कम हो ।
41(2)	साइजों के कोपर पाइप और ट्यूबें (180 मि० मी० ओ० डी० से 100 मि० मी० ओ० डी० तक से भिन्न जो 22 एस० डब्ल्यू० जी० गेज थिकनेस वाली) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत या 25000 रुपये चाहे इसमें जो भी कम हो ।
42	कापर स्क्रैप चाहे इंगोटड हों या अन्यथा रूप से हों ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 तिशत ।
44 सी)	जिंक ग्रनलशन्न और डस्ट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये चाहे जो भी कम हो ।
46(बी)	निकल बेस एलाय और निकल क्रोम एलाय जिसमें मनुफैक्चर्स तथा उनके स्क्रैप भी शामिल हैं (इसमें मोनेल मेटल रॉड्स/वायर्स/स्ट्रीप्स भी शामिल हैं)	वही

1	2	3
46 (सी)	साइजों के ग्रास पाइप और ट्यूब (18 मि० मी० ओ० डी० से 100 मि० मी० ओ० डी० तक के भिन्न वाले थिकनेस या 22 एस डब्ल्यू जी और थिकर)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत या 25000 रु०— चाहे जो भी कम हो ।
50	मोनेल मेटल अनग्रौट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु०— चाहे जो भी कम हो ।
5 3(ए)	केलसिअम मेगनिज सिलकन	वही
57(ई)	औद्योगिक धातविक काइल स्प्रिंग, फनलट और अन्य रामों के स्प्रिंग जिस प्रेसहिन स्प्रिंग भी शामिल है किन्तु घड़ियो/दिवाल घड़ियों आदि के लिए हेयर स्प्रिंग शामिल नहीं है ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 5000 रुपये— चाहे जो भी कम हो ।
7–ए (बी)	स्ट्रांग एसिड/लकलीज की प्रतिक्रिया के अवरोध के लिए आवश्यक ऐस्बेस्टास बेस्ड वायर शवन ज्योंटिग्स, बिटर एडिशन ज्यों ग्स, ज्यानेटिस और प्रतिशत ताप अवरोध के लिए आवश्यक ज्यानटिग्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य 10 प्रतिशत या 5000 रुपये— चाहे जो भी कम हो ।
7ए (सी)	विद्युत पयक्करण के लिए ऐस्बेस्टास बेस्ड उत्पादें और वे उत्पादें जो अन्यथारूप से विशिष्टकृत नहीं है (स्वीकृत किस्म के)	वही
7–बी	नान-ऐस्बेस्टास पकिंग और सभी प्रकार बोयलर्स जो अन्यथा रूप से विशिष्टकृत नहीं है ।	वही
7–सी	सभी मशीनों के लिए स्टील न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक नाम ऐस्बेस्टास पकिंग्स ।	वही
8	रेडी मेड बोयलर नान-एस्बेस्टास पकिंग्स	वही

1	2	3
9(ए)	9/16 व्यास से ऊपर मशीनीकृत स्टील बाल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
9(बी)	ग्रेड 5, 10, 15 और 25 ए एफ बी एम ए के लिए आई एस रोड, 2, 1, 0 सगत के लिए मानरूप बनाने के लिए परिशुद्ध इस्पात बाल्स ।	वही
9(सी)(2)	विशेष प्रकार के फोर्जस स्टील बाल्स जैसे हालो कास्ट स्टील बाल्स आदि (डी जी टी डी के परामर्श से) ।	वही
9(जी) 11	रोलर / मिडल रोलर्स प्रतिबंधि किस्म को छोड़कर । (1) जर्मन सिल्वर/निकल सिल्वर स्क्रप (2) जर्मन सिल्वर/निकल सिल्वर स्क्रप	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० चाहे जो भी कम हो ।
12	(1) एन्टी ब्याटिक वाशल कपस के निर्माण के लिए लच्छों में अपेक्षित 34 गाज और थीनर गाज एल्युमीनियम स्ट्रीप्स (दवाइयों और औषधीय उद्योग के लिये)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 10000 रुपये—चाहे जो भी कम हो ।
	(2) जीप फास्टेनर के निर्माण के लिये 12.5 मि० मी० चौड़ाई से कम के एल्युमीनियम स्टीम्स	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 10000 रुपये चाहे जो भी कम हो
13	ई० सी० ग्रेड एल्युमीनियम	वही
16 (बी)	ओक्साइट अशेज को छोड़कर सिन्टर्ड पार्टस	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये—जो भी कम हो ।

1	2	3.
17(ए)(आई)(ए)	सिरेमिक उद्योग के लिए जिरकोनियम सिलिकेट	वही
	(बी) सिरेमिक और इलक्ट्रिक वेल्डिंग उद्योग के लिए रूटिल	वही
	(सी) केडामियम	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 75 प्रतिशत ।
17 (ए)(2)	अलौह इलेक्ट्रोडस वायर आदि (स्टनलिट और अन्य इसी प्रकार के कावेल्ट बेस हार्ड फेसिंग एलाय को छोड़कर)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये— चाहे जो भी कम हो ।
17 (बी)	(i) फरो एलाय	वही
	(ii) एल्युमोनियम अवरोधक एलाय सहित अन्य विशेष अलाय	वही
17 (सी)	अधिकतम 97–98 प्रतिशत एल्युमीमियम के एल्युमीयम एलाय स्ट्रप्स ।	वही
20(1)(ए) (बी) और (सी)	(1) 1.6 मि० मी० मोटाई के कम के स्लीटिंग या और स्लीटिंग कटर्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये— चाहे जो भी कम हो ।
	(2) डायमन्ड वायर ड्राविंग डाइज	वही
	(3) 3 मि०मी० से कम का टक्स और डाइज	वही
20(2)(ए)(1)	इन्सर्टड ब्लेड टाइपों के साथ सरकुलर सा	वही
21(1)(1)	(1) 100 मि० मी० से ऊपर साइज के आउटसाइड माइक्रो मीटर तथा उनके फालतू पुर्जे ।	वही
	(2) थ्रेड प्लग गेज तथा रिंग गेज	वही
	(3) गेज ब्लाक्सर (कार्बाइड स्लीप गेज से भिन्न स्लीप गेज)	वही

1	2	3
24(बी)	ग्राइन्डिंग व्हील्स तथा सिगमेंट्स ।	वही
24 (सी)	फाउन्टन पैन के निर्माण के लिए निब स्लिटिंग व्हील्स ।	वही
25 (डी)	(1) कार्बोरन्डम और सिन्थैटिक एलम्युनियम आक्साइड (भूरे रंगों को छोड़कर) 300 मेश और फाइनर साइज के एब्रेसिव ग्रेन ।	वही
	(2) ब्राउन सिन्थेटिक एलम्युनियम ग्रोक्साइड एब्रेसिव ग्रेन्स ।	वही
28 (4)	परिशिष्ट 23 में दिए गए विवरणों को छोड़कर सर्व फन्क्शन्स साइज में 100" से ऊपर वी-बल्टस बी० सी० डी० सेक्शन्स	वही
28 (8) (बी)	सेफ्टी रेजर ब्लेड के निर्माण के लिए इस्पात कन्वेअर बैल्टस ।	वही
32(बी)	देश में नहीं उत्पन्न किये गये (केवल पम्पों के निर्माण के लिये) रेटिंग के वर्टिकल स्पिन्डल हालो शाफ्ट मोटरें ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
32 (डी)	विभिन्न गतिवाली मोटरें तथा अन्य नान-फलेम प्रुफ मोटरें जिनकी जरूरत वस्त्र-मशीनों (केवल उत्पादन उद्योग के लिए वस्त्रमिल/वस्त्रमशीन) के विशिष्टकृत टाइपों के लिए है ।	वही
32(एच)	(ए) 1 अश्व शक्ति तक डी० ग्रो० मोटरों के लिए कोमूटेटर्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2,500 रुपये—चाहे जो भी कम हो ।
	(बी) फालतू पुर्जों के रूप में अपेक्षित कोड के कार्बन ब्रुशों के विशिष्ट टाइपों को छोड़कर कार्बन ब्रुश ।	वही

1	2	3
34(ए) (1)	फ्यूज्ड कास्टिक सोडा या एसिड के लिये विशेष पम्प ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
37(1)(एफ)(1)(ए)	4. 1/4" पिच सिलवर स्पिनिंग फ्रेम	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये—चाहे जो भी कम हो ।
(बी)	4. 1/4" पिच एप्रोन ड्राफ्ट स्पिनिंग फ्रेम ।	
(2)	5. 1/2" पिच सिल्वर स्पिनिंग फ्रेम ।	
(3)	फिनिशर ड्राइंग फ्रेम (सेकिंग वेफ्ट)	
(4)	फिनिशर ड्राइंग फ्रेम (लाइट यार्न)	
(5)	द्वितीय ड्राइंग फ्रेम ।	
(6)	स्कूगिल फर्स्ट ड्राइंग फ्रेम	
(7)	निम्नलिखित जूट कार्डस तथा रोल के फ्रेम्स (जूट कार्डस के लिये संलग्नन) :—	
(1)	लौंग जूट ब्रेकर कार्ड टाइप जेई—2	
(2)	लौंग जूट फिनिशर कार्ड टाइप जे डब्ल्यू-4	
(3)	कटिंग जूट ब्रेकर कार्ड जे-एफ-1	
(4)	कटिंग फिनिशर कार्ड टाइपजे एफ-3	
(5)	कटिंग ग्रीजर-कार्ड टाइप जेएफ—10	
41—ए	(1) इलैक्ट्रोलिटिक संसाधनों के लिए आवश्यक ग्रेफाइट एनोड्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 10,000 रुपये—चाहे जो भी कम हो ।
(2)	विद्युत् फर्नेसस के लिए ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स ।	
(3)	विद्युत् फर्नेसस के लिए कार्बन पेस्ट ।	लाइसेंस मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये—चाहे जो भी कम हो ।
42(बी)(1)	केवल 220 के०वी० के प्रकाश निरोधक ।	लाइसेंस मूल्य का 10 प्रतिशत या 10,000 रुपये—चाहे जो भी कम हो ।

1	2	3
42(बी)(3)	सरक्षी रिले ।	लाइसेंस के मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये—जो भी कम हो ।
42(एच)(3)	विद्युत नियंत्रक गीयर्स तथा विद्युत् संचार गीयर्स—अन्य	वही
43(ई)	(1) 25000 एलबीएस ईएमएफ से ऊपर के डिस्क अवरोधक ।	वही
	(2) 66 के०वी० से कम के परिवर्तक वृत्तिम और उपकरण अवरोधक (विशेष प्रकार के या डिजाइन के) ।	वही
45(सी)	इनेमल तांबातार 44 वेज तथा फाइनल वेज ।	वही
46(बी)	(1) कार्बन ब्लौक के धातु ग्रेफाइड ग्रेड्स जिनमें मार्बेन्स सीएम–2 ग्रेड तक कार्बन ब्लौक्स संतुल्य शामिल हैं तथा कार्बन ब्लौक के धातु इम्प्रेग्नेटेड ग्रेफाइट ग्रेड्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
	(2) ग्रेफाइट स्टोपर हैड तथा कोलियडल ग्रेफाइट ।	लाइसेंस के मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये—जो भी कम हो ।
46(डी)	अग्निसह्य माइनिंग वेल्स तथा अग्निसह्य लाइनिंग टेलीफोन ।	लाइसेंस के मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये—जो भी कम हो ।
48(ए)	विद्युत् विस्फोटक तथा उनके पुर्जे	वही
भाग 3		
1(सी)(2)	सिन्थेटिक फाइबर जैसे पालियेस्टर तथा एक्रिलिक फाइबर्स (वस्त्र आयुक्त, बम्बई की सिफारिश पर आयात स्वीकृत किया गया) को संभोवित करने के लिए आटिकल ब्लाइटिनिंग एजेंट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 50,000 रुपये—जो भी कम हो ।

1	2	3
1(डी)(1)	बेंटिंग ग्राउट, पेनेट्रेटिंग, डिस्पर्सिंग, स्कोरिंग तथा एमलसिफाइंग एजेंट्स (भेषज, मेषजीय, कीटनाशक तथा रोगाणुनाशक, रेयन सिन्थेटिक फाइबर्स, सिन्थेटिक रबड़ तथा पालिमर्स के निर्माण के लिए अपेक्षित केवल विशेष उत्पादों के आयात की स्वीकृति दी जाती है)।	वही
1(डी)(4)	सिन्थेटिक ब्लीचिंग एजेन्ट्स (ब्लीचिंग पाउडर या हियोक्लोराट्स हाइड्रोजन पेरआक्साइड आदि से भिन्न)।	वही
**5-ए	सिल्क बैलिंग क्लाथ (रोलर फ्लोर मिल्स, स्टार्च यूनिट्स, रिफाइन्ड गौर गम यूनिट्स तथा एमरी ग्रेन पाउडर बनाने वालों के लिए)।	एमएनआई यूनिट के मामलों में आयात की स्वीकृति डी० सी० (एम०एस०आई०) की सिफारिश पर तथा अन्य यूनिटों के मामलों में डी० जी० टी० डी० की सिफारिश पर दी जायेगी।
**1(डी)(4)	सोडियम एलिजिनेट (दन्त उत्पाद निर्माण के लिए तथा वनस्पति दूध उद्योग के लिए)।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये—जो भी कम हो।
भाग 4		
37.	कोको बीन्स	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये—जो भी कम हो।
41.	हाप्स	वही
49(ए)(2)	तरल सोना बनाने के लिए डेमर गम	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत।
97.	ग्राट तथा क्रोम पेपर को छोड़कर अन्तिम उपयोग के लिए आवश्यक विशेष वर्ग चीनी मिट्टी।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये—जो भी कम हो।

1	2	3
103.	सभी प्रकार के मेटल रीड्स तथा स्टील रीड्स (वस्त्र आयुक्त, बम्बई की सिफारिश पर) के निर्माण के लिए पमीस स्टोन और रबड़ स्टोन ।	लाइसेंस के मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये—जो भी कम हो ।
127—129.	(1) आर्थेटिक केमिकल्स जैसे जेरेनियोल, साइट्रोनेलोल और हाईड्रोक्सी साइट्रोनेलोल के निर्माण के लिए साइट्रानाला आयल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत या 10,000 रुपये—जो भी कम हो ।
	(2) सुगंध करने वाले सत्त और इत्र-साजी के कम्पाउन्ड के निर्माण के लिए आरेंज आयल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये—जो भी कम हो ।
	(3) सुगंधित तथा चर्बण तम्बाकू के निर्माण के लिए नेचुरल एसेंसियल आयल ।	वही
130.	तात्विक मूल संश्लेषण	वही
138.	बेल्ट ड्रेसिंग को छोड़कर ग्लू, जो अन्यथा रूप से विशिष्टिकृत नहीं हो ।	वही
159(बी)	निम्नलिखित के अतिरिक्त प्रयोग के लिए छन्ना पत्र :—	
परिशिष्ट—16	(1) अनुसंधान प्रयोगशालाओं के लिए ग्रीवीमीट्रिक और क्रोमोटोग्राफिक अनैलमिस ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये—जो भी कम हो ।
	(2) मोटर कारों और अन्य अन्तरिक दहन इंजनों के लिए छन्ना ।	
160.	ग्लेसीन कागज	वही
परिशिष्ट—16	कतिपय विशिष्ट अन्तिम उत्पादों के लिए—	
177.	नाइलोन रेशे और धागे (औद्योगिक नाइलोन रेशे को छोड़ कर) और पोलिस्टर फिलामेंट रेशे ।	प्रायोजित प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर बंटित किये जाने हैं ।

1	2	3
244	आवरण स्लिप्स के अतिरिक्त अन्तिम प्रयोग में आने वाली 6.5 एमएम से अधिक और 0.8 एमएम मोटाई से कम वाली शीट ग्लास ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
248(सी)	(1) बत्ती निर्माण के लिए लेड ग्लास	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये जो भी कम हो ।
	(2) हार्ड ग्लास	वही
	(3) क्वार्ट्ज ग्लास	वही
	(4) बल्ब ग्लास ट्यूबिंग	वही
286(बी)	टाइपराइटर के लिए टाइप करने वाले अक्षर	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
305.	सिनेमा से अन्य सब प्रकार के फोटो यंत्र, उपस्कर तथा साधित्र, अन्यत्र विशिष्टीकृत नहीं, और उनके पुर्जे ।	फोटो यंत्रों, उपस्करों, और साधित्रों के आयात की अनुमति डी०जी०टी०डी० के परामर्श से दी जायेगी ।
337.	3, 4 तथा 5 साइजेज के अलावा अन्य एम्पटि हार्ड ग्लेटाइन कैप्सूल्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 40 प्रतिशत या 20,000 रुपये इनमें जो भी कम हो ।
भाग 5		
6.	सिन्थेटिक टेनिंग एजेन्ट्स	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
13.	स्प्रिट मिश्रित तत्व जो मदिरा निर्माण में प्रयोग किये जाते है ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये इनमें जो भी कम हो ।
17(सी)	पैराफिन द्रव्य (चिकित्सा पैराफिन द्रव्य सहित)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2,500 रुपये जो भी कम हो ।
परिशिष्ट–18		
34–37(डी)	पेन्ट्स के लिए कच्चा माल :—	

1	2	3
परिशिष्ट–29	(क) एन्टिमोनि आक्साइड (पेन्टर ग्रेड)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
	(ख) सफेद स्प्रिट/खनिज तारपीन	लाइसेंस के अंकित मूल्यका 10 प्रतिशत ।
	(ग) लाम्पेन्ट मेच्चा (हल्का और भारी)	वही
परिशिष्ट–24 तथा परिशिष्ट–29	निम्नलिखित जैक रंगसामग्री और अंगराज रंग :—	
	पिजमेन्ट डाईस्टफ्स — **रंग सूचक सं०**	
	1. एस०एफ०रे एफ2 आर — 12310	इन मदों के आयात की स्वीकृति लाइसेंस के सम्पूर्ण मूल्य के 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये तक इन में जो भी कम हो उसके लिए दी जायेगी ।
	2. एस०एफ० मरून — 12350	
	3. परमिनेन्ट नारंगी — 15510	
	4. लेक स्कारलेट — 16105	
	5. लेक सुनहरी पीला — 19140	
	6. पीकोक ब्लू — 42090	
	7. मिनाइल टोनर — 45170	
	8. पीला हरा टोनर — 49010	
	9. लेक मैंडर — 58000	
	10. लेक मेजेंटा — सी आई सं० नहीं ।	
	11. क्रिम्सन टोनर — 12825	
	12. स्थायी नारंगी 2 आर — 12075	
	13. एस०एफ० रैड एफ 4 आरएच — 12420	
	14. रबड़ नीला जीएनएस	सीआई सं० नहीं
	अंगराज रंग	
	1. गहरा लाल — 12350	
	2. लेक पीला (टार्टरा जिंक) — 19140	
	3. डिआनोपथोरेसाइन — 45370	
	4. रबराज रुबिन — 45170	
	5. रंगराज ग्रीन आक्साइड — 77288	
	6. रंगराज ब्लैक आक्साइड — 77499	

1	2	3
34–37(एच)	ब्लैंक फिक्सड (एसिड प्रतिरोधक सीमेंट के विनिर्माण के लिए)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये जो भी कम हो ।
41(ii)	अश्वचालित मोटर, मोटर साइकल के गवर, ट्यूब, ट्यूब और फ्लैप्स, साइसाइकल के टायर और ट्यूब तथा औद्योगिक टायर ट्यूब और फ्लैप्स जिनमें ऊंट टायर शामिल हैं, किन्तु ट्रैक्टर टायर शामिल नहीं हैं, और सड़क के लिए वाहनों में आने वालों के अलावा टायर और ट्यूब (स्वीकृत किस्म के) ।	नहीं
41(iii)	ट्रैक्टर और सड़क के लिए वाहनों में आने वालों के अलावा टायर, ट्यूब और फ्लैप्स, जिनमें अन्य किस्म के टायर और ट्यूब और फ्लैप्स, जो अन्य जगह पर विनिर्दिष्ट-कृत हैं, शामिल नहीं हैं (स्वीकृत किस्म के) ।	नहीं
41(4)	रबड़ कैमरी ब्लाडर (बैलून विनिर्माण के लिए)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
41(5)	30 मेश तक उच्च अपघर्षी क्वालिटी के रबड़ आगे ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
41(7)	फूल लेंथ कोलैप्सिबल ब्लोइंग पैम्प	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये जो भी कम हो ।
41(9)	(1) रबड़ कैमरी तथा कैमरी पृथक्कारक	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये जो भी कम हो ।
	(2) सभी आकार को शामिल करते हुए लम्बाई की लम्बाई में प्लास्टिक कवर, जिसकी मोटाई 0.25 इंच से अधिक न हो ।	नहीं

1	2	3	
42(ए)(i)	**लकड़ी किस्म**	**अंतिम उपयोग**	
	तेंदू लकड़ी (पट-नम आयुक्त, कल-कत्ता से परामर्श के साथ)	पटसन उद्योग के लिए इटस्त	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये इनमें से जो भी कम हो ।
	(ii) समुद्रतटीय लकड़ी। दुग्लास फर (पट-नम आयुक्त, कल-कत्ता से परामर्श के साथ) ।	पटसन मिल पिकिंग छड़ें, बाक्सिन्स, बाक्स वैक्स से रेडिज लूपले ब्लाक्स तथा शट्टलस के अलावा पटसन मिल की लकड़ी की अन्य वस्तुएं ।	नहीं
	(iii) देवदार, सादर्नटी मेक्सिको प्रौरदुग्लस फर (बम्बई पट-सन आयुक्त से परामर्श के साथ)	पैकिंग उद्योग के लिए बाक्सिन्स	नहीं
	(4) रबड़, सलवरें तथा समुद्रतटीय लकड़ी	खेल कूद का सामान	नहीं
	कच्चा ऊन		प्रयोजक अधिकारी की सिफारिश पर बंटित किया जाता है ।
65(ए)(ई)(3)	(i) सार्वजनिक कार्यालय, संगीनों के लिए प्रोन लेदर, संगीनों में जिनके पुर्जे आयातित हैं उनके पुर्जों को बदलने के लिए या उनकी मरम्मत करने के लिए ।	लाइसेंस में अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये इनमें से जो भी कम हो ।	
68(बी)	[illegible] (डी०जी०एस०डी० से परामर्श के साथ)	डी०जी०एस०डी० के साथ परामर्श करने पर आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा ।	

1	2	3
76(बी)	सभी औद्योगिक मशीनों के लिए सूचना, किन्तु प्रतिबंधित सूचनों को छोड़ कर	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 1250/- रुपये इनमें से जो भी कम हो ।
78(9)	(1) पीइंग मीटर इलैक्ट्रोड्स (2) पीइंग मीटर्स	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 पये इनमें से जो भी कम हो ।
	(3) अल्ट्रासोनिक डिवाइसेज जिनमें अल्ट्रासोनिक पम्प डिटेक्टर्स शामिल हों ।	डी०जी०टी०डी० के साथ परामर्श करने पर आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा ।
79	(1) 500 वर्ष से अधिक क्षमता वाले नैदानिक उपकरण सथा (2) एक्स-रे थेरोपि मासा-रेडियेशन उपकरण	डी०जी०टी०डी० (उपकरण निदेशालय) के साथ परामर्श कर, आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा ।
93–94(ए)(4)	(ए) लाइफोफ्लेक्स ग्लैंस के अलावा रक्त ग्लैंस ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 75 प्रतिशत ।
101	(1) सेलूलोज एसिटेट फ्लेक्स	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10प्रतिशत या 5000 पये इनमें से जो भी कम हो।
	(2) सेलूलोज एसिटेट मोल्डिंगपाउडर्स	
	1. ऐनक के फ्रेम के निर्माण के लिए	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 50 प्रतिशत ।
	2. जूतों के फीतों के निर्माण के लिए	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
	3. अन्य अन्तिम उपभोगों के निर्माण के लिए ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये, इनमें से जो भी कम हो ।
111	सिनोल फार्मलडिहाइड मोल्डिंग पाउडर	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।

1	2	3
113	एक्रिलिक प्लास्टिक शीट्स की पर्सपेक्स फिल्म (घटक बनाने के लिए)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 25 प्रतिशत ।
113 एए	प्लाइविनिलिडीन क्लोराइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये, जो भी कम हो ।
113 जी	पोलिविनाइल फार्मल तथा पोलिविनाइलब एसिटोल	वही
113 आई	स्टोरेज बैटरी के निर्माण के लिए पीवीसी रेजिन्स ।	वही
113 एक्स	(1) पीवीएफई ट्यूब	वही
	(2) विशेष इलेक्ट्रिकल संघटक	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 10000 रुपये इनमें से जो भी कम हो ।
114	पाइरोटेक्निक्स/थर्मीनियम	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये इनमें से जो भी कम हो ।
116 (2)	सिन्थेटिक लाबन एलास्टोमेर रेजिन्स	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 10000 रुपये इनमें से जो भी कम हो ।
116 (4)	इपाक्सी रेजिन्स	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत या 10000 रुपये इनमें से जो भी कम हो ।
122 (1)	(1) मैडिकेटिड यार्न के अलावा उद्योगों के लिए पालिस्टर फिल्म्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
	(2) पालिस्टर केमिलोटिड फिल्म्स	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 15 प्रतिशत ।
	(3) पालिस्टर मेटेलाइज्ड फिल्म्स	वही

1	2	3
	(4) प्रस्तुत उप-सं० 122(1)/5 के अन्तर्गत आने वाली अन्य मदें जो प्रतिबंधता के आधार पर अनुमेय हैं।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत।
122(2)	**फ्लोरोस्पर :**	
	(1) विट्रिअस एनामल फ्रिट के निर्माण के लिए एसिड ग्रेड फ्लोरोस्पर।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये जो भी कम हो।
	(2) स्टील कास्टिंग फाउन्ड्री के लिए एसिड ग्रेड फ्लोरास्पर (डी०जी० टी०डी० के परामर्श पर)	वही
	(3) एसिड ग्रेड फ्लोरोस्पर (एल्यूमीनियम स्मेल्टर के लिए)	धातु विभाग के साथ परामर्श करने पर आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा।
122(9)	ग्राईनाइट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये इन में से जो भी कम हो।
122(11)	चकमक पत्थर (लाइटर उद्योग के लिए और तकनीकी खिलौनों के निर्माण के लिए)।	वही
122(15)	सिन्थेटिक गैर सेलूलोज फाइबर, जिसमें पालिस्टर फाइबर शामिल है	प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर बंटित किया जाना है।
122(25)	(1) कंघियों के निर्माण के लिए पालिप्रोप्लीन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत।
	(2) प्रस्तुत क्रम सं० के अन्तर्गत आने वाली अन्य मदें (जिनमें वास्तविक उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाइलोन मोल्डिंग पाउडर का आयात जो कि एस०टी० सी० सरणीबद्ध है, शामिल नहीं है)।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 50 प्रतिशत।

1	2	3
122(29)	वेज एंड इंडस्ट्रीज के अलावा अन्तिम उत्पाद के लिए फिल्टर एड्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये, जो भी कम हो ।
122 (32)	स्टोरेज बैटरीज के निर्माण के लिए फाइबर ग्लास सर्फीसिंग और ग्लास वूल मैट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये, इनमें जो भी कम हो ।
122 (41)	एल्बास्टर	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
122 (49)	स्टेमिल्लिंग फाइल्स में परिवर्तन के लिए प्लास्टिक फिल्म्स ।	वही 10 प्रतिशत
122 (50)	खमीर खाद्य और खमीर उपज	वही 10 प्रतिशत
122 (51)	प्रस्तुत क्रम संख्या के विपरीत कालम 4 के अन्तर्गत टिप्पणी (1) और (3) के विपरीत उल्लिखित मदों को छोड़ कर प्रस्तुत उप-क्रम संख्या के अन्तर्गत आने वाली मदें ।	वही 10 प्रतिशत
87, 109/4 परिशिष्ट 19	(1) सल्फाडिमिडाइन (सल्फामेथेजाइन) (2) एमिडोपाइराइन (3) एनलजिन (4) फिनोबारबिटोन (5) पिपाजाइन और उसके साल्ट (6) स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट (7) टेट्रासिक्लाइन बेस और टेट्रासिक्लाइन हाइड्रोक्लोराइड	भारतीय भेषज तथा औषधीय लि० के लिए राज्य भेषज नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा बटन आदेश जारी किये जायेंगे ।
	(8) क्लोरमफिनिकोल पाउडर (9) क्लोरमफिनिकोल पामिटेट (10) क्लोरमफिनिकोल सक्सिनेट	राज्य व्यापार निगम को भेषज नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा बटन आदेश जारी किये जायेंगे ।
	(11) [illegible]	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत ।
	(12) एसिटारसोल	वही
	(13) एल्यूमीनियम क्लिनिसेट	वही

1	2	3
(शेड्यूल 19—जारी)		
	(14) इन्सूलीनियम हाइड्रोक्साइड	वही
	(15) मैग्नेसियम डि-सकारेट	वही
	(16) मैग्नेसियम केमल इन्जैनडेनस ग्रेड वाले मैग्नेसियम ग्लूकोनेट।	वही
	(17) मैग्नेसियम सैलिसेट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
	(18) मेनामाइसिन	वही
	(19) ग्लाइ सरोफोसफोरिक	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2. 1/2 प्रतिशत ।
	(20) हेपाराइन	वही
	(21) प्यूरीफोइड ग्रेड का लिक्विड पाराफिन ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये, इनमें जो भी कम हो ।
	(22) मेनोलिन (एसेप्स वेनी)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये इनमें जो भी कम हो ।
	(23) निकेमाइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
	(24) फिनाइल बुटाजोन और उसके साल्ट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये, इनमें जो भी कम हो ।
	(25) पोटेशियम हाइड्रोजिन टारट्रेट (टार-टार की क्रीम)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2. 1/2 प्रतिशत ।
	(26) पोटेशियम सोडियम टारट्रेट (रोशेल साल्ट) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2. 1/2 प्रतिशत ।
	(27) पोटेशियम आयोडाइड	वही
	(28) प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड	वही

1	2	3
परिशिष्ट 19—जारी		
	(29) सिल्वर प्रोटीन, मर्म और सहत	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1,250 रुपये, इनमें जो भी कम हो।
	(30) सोडियम आयोडाइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत।
	(31) सक्सिनाइल क्लोलाइन क्लोराइड	वही
	(32) थाइमल	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये, इन में से जो भी कम हो।
	(33) डी 2 और डी 3 विटामिन्ज	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत।
	(34) विटामिन-के (मेनडायन, मेनडायन सोडियम बिसल्फाइट और एसिटो-मेनाफ्थोन)।	"विटामिनके—" (मेनडायनमेना-विसल्फाइट और एसिटोमैना-फ्थोन) के रूप में दिखाया गया है उसे संशोधित कर कालम 2 में संकेतित अनुसार पढ़ा जाये।
1-बी।3.	निम्नलिखित डाइज इन्टरमेडिएट्स :—	
परिशिष्ट 24	(1) बीटा नेप्थोल]	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत
	(2) नेप्थियोनिक एसिड।सोडियम नेप्थि-योनेट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत
	(3) एसिटि एसिट आर्थी टोल्यूडाइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2,500 रुपये, इन में से जो भी कम हो।
	(4) पी-टोल्यूडाइन-5-सल्फिनिक एसिड। सोडियम साल्ट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत

1	2	3

परिशिष्ट 24—जारी

(5) एसिटोग्रसेट–ओ–एनिसिडाइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये जो भी कम हो।	
(6) एमिटोग्रसेट–एम–जिलिडाइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये, जो भी कम हो।	
(7) एमिड एन्ध्रानिलिक	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत	
(8) एमिनोएन्ध्राकुइनान	वही	10 ,,
(9) एमिनो आइसो गामा एसिड	वही	5 प्रतिशत
(10) 1. एमिनो 2. नफथोल 4.सल्फोनिक एसिड	वही	5 प्रतिशत
(11) 1–एमिनो 6–नाइट्रो 2–नेफथोल 4–सल्फोनिक एसिड	वही	5 प्रतिशत
(12) एन्ध्राकुइनान	वही	10 ,,
(13) ओ–एनिसिडीन	वही	20,,
(14) पी–एनिसिडीन	वही	20 ,,
(15) बेन्जोइल–जे–एसिड	वही	5 ,,
(16) बिटा-आक्सिनेफ्थोइक एसिड (बी० ओ०एन० एसिड)	वही	20 ,,
(17) 3–कार्बोक्सी–1–(पी.सल्फोफिनाइल) 5–पाइराजेलान	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत	
(18) शिकागो एसिड	वही	10 ,,
(19) सी–एसिड 2–क्लोरा–5–टेल्युइडाइन 4–सल्फोनिक एसिड और इसके सोडियम तथा पोटाशियम नमक	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये जो भी कम हो। (इस मद का यथा प्रदर्शित वर्तमान विवरण "शिकागो एसिड (2–	

1	2	3
परिशिष्ट 24—जारी		
		क्लोरो–5 टाल्युइडाइन 4–सल्फोनिक एसिड तथा इसके सोडियम और पोटाशियम नमक को कालम 2 में यथा प्रदर्शित पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए ।
(20) 1–क्लोरोएन्थ्राकुइनोन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत	
(21) 4–क्लोरा–2–नाइट्रोएनिलिन	वही	10 ,,
(22) 5–क्लोरो–ओ–टाल्युडिन	वही	5 ,,
(23) 1–4 डाइआमिनो–एन्थ्राकुइनोन	वही	10 ,,
(24) 1–5 डाइआमिनो–एन्थ्राकुइनोन	वही	5 ,,
(25) 2–6 डाइआमिनो–एन्थ्राकुइनोन	वही	10 ,,
(26) 1 : 5 डिबेन्जिल नैफ्थलीन	वही	5 ,,
(27) 2 : 5 डिक्लोरोएनिलिन	वही	5 ,,
(28) डिएथिलमिटा एमिनोफिनल	वही	20 ,,
(29) डि–जे–एसिड	वही	5 ,,
(30) 2 : 5 डिमिथिल–4–क्लोरोफिनल ग्लाइसिन को एसिड	वही	5 ,,
(31) डिफेनिलमाइन	वही	20 ,,
(32) जी साल्ट	वही	20 ,,
(33) गामाएसिड	वही	10 ,,
(34) एच–एसिड	वही	20 ,,
(35) जे०–एसिड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत	
(36) जे–एसिड यूरिया	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत	
(37) लयोरेन्ट को एसिड	वही	5 ,,
(38) एम.मक्लोरोएनिलिन	वही	5 ,,

1	2	3

परिशिष्ट 24—जारी

(39) एन. डब्लू एसिड	वही	10 ,,
(40) नेपथल एएसजी	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत अथवा 10000 रुपये जो भी कम हों।	
(41) 2—नैफथिल सिनोग्लाइकफोलिक एसिड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत	
(42) ओ—नाइट्रोएनिसोल	वही	5 ,,
(43) पी—नाइट्रोएनिसोल	वही	5 ,,
(44) पी—क्लोरोएनिलिन	वही	5 ,,
(45) ओ—क्लोरोएनिलिन	वही	5 ,,
(46) पारा एमिनो बेन्जोइक एसिड	वही	5 ,,
(47) पारा नाइट्रो बेन्जोइक एसिड	वही	5 ,,
(48) पारा टाल्यूडाइन मेटा सल्फोनिक एसिड (पी टी एम एस)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये जो भी कम हों।	
(49) पैरी एसिड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत	
(50) फीनिल जे० एसिड	वही	10 ,,
(51) फीनिल पेरी एसिड	वही	10 ,,
(52) क्विंजेरिन (1. 4 डिहाईड्रोक्सीएन्थ्राक्विनोन)	वही	5 ,,
(53) रेजासिनाल	वही	5 ,,
(54) रोडमुलिन एसिड	वही	5 ,,
(55) आर० साल्ट	वही	5 ,,
(56) स्कैफर की एसिड	वही	10 ,,
(57) टोबियाज एसिड	वही	10 ,,

1	2	3
परिशिष्ट 24—जारी		
	(58) ओ–टोल्युडाइन	वही 20 ,,
	(59) पी–टोल्यूडाइन	वही 20 ,,
22,31/5 परिशिष्ट 28	(1) साइनो पाग्ररीडीन	रिग्राई ग्रादेश राज्य भेषज नियंत्रण प्राधिकारियो द्वारा राज्य व्यापार निगम को जारी किए जाएंगे ।
	(2) एन्ड्रिन (कीटनाशक)	सनदी लेखापाल या भागत लेखापाल अथवा प्रायोजक प्रधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित इस मद के उपभोग का 50 प्रतिशत ।
	(3) ग्राक्टेनाला ग्राइसो काक्टेनाला / 2 सूथिलहेक्सानल	लाइसेस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत
	(4) फुथेलिक एन्हाईड्राइड	वही 10 ,,
	(5) विनाइल क्लोराइड	वही 2.1/2,
	(6) पोटासियम क्लोराइड (ग्रौद्योगिक-कोटि)	लाइसेस के ग्रंकित मूल्य का का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये जो भी कम हो ।
	(7) सिट्रिक एसिड	लाइसेस के ग्रंकित मूल्य का 20 प्रतिशत
	(8) पाग्ररिडीन बेस तथा पाग्ररिडीन-टैकिनकल ।	वही 5 ,,
	(9) एसिटेनिलाइड	वही 5 ,
	(10) ग्रसेटिक एसिड	लाइसेस के ग्रकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये जो भी कम हो ।
	(11) ग्रसेटिक एन्हाड्राइड	लाइसेस के ग्रकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
	(12) ग्रसेटिल एसिटोन	वही 10 ,,
	(13) एसिड एन्थानिलिक	वही 5 ,,

1	2	3

परिशिष्ट 28—जारी

(14)	एक्टिवेटिड कार्बन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5%
(15)	एलफा पिनेन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये जो भी कम हो ।
(16)	एल्युमीनियम क्लोराइड	वही
(17)	विस्फोटक कोटि का एमोनियम-नाइट्रेट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये, जो भी कम हो ।
(18)	(एमोनिअम सल्फोसायनाइड, रोडेनाइड का थिओसियानेट और रोडेनेटिअम के रूप में भी जानी गई) एमोनिअम थिओसियानेट.	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये जो भी कम हो ।
(19)	एमिल अल्कोहल (दुग्ध परीक्षण गुण वाले एमिल अल्कोहल के लिए आइसो एमिल अल्कोहल के आयात की अनुमति अंकित मूल्य प्रतिबन्धों के बिना दी जाएगी) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत.
(20)	एन्टीमोनी आक्साइड	वही 10 ,,
(21)	आरगन गैस, स्पेक्ट्रमिकीय 99.99 प्रतिशत शुद्ध ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये जो भी कम हो ।
(22)	आरसेनिक ट्राइआक्साइड तथा आरसेनिक पेन्टोआइड ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये जो भी कम हो ।
(23)	बेन्जिल अल्कोहल	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये जो भी कम हो ।

1	2	3
परिशिष्ट 28—जारी		
(24) बेन्जोइक एसिड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।	
(25) बेन्जिल एसिटेट	वही	1 ,,
(26) बेन्जोट्रिक्लोराइड	वही	10 ,,
(27) बन्जिल क्लोराइड	वही	5 ,,
(28) बन्जिल पराक्साइड	वही	2.1/2 ,,
(29) बिस्फिनल	वही	2.1/2 ,,
(30) ब्रोमाइन	वही	10 ,,
(31) सामान्य ब्यटिल अल्कोहल को छोड़कर अल्कोहल अल्कोहल (ब्यूटेनाल)	वही	2.1/2 ,,
(32) ब्यटिल टिटेनेट	वही	5 ,,
(33) अपेक्षित कैल्सियम कारबोनेट की दन्त-शोधन कोटि ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत (इस मद के विद्यमान रूप में दिखाये विवरण "अपेक्षित तथा सक्रियित कैल्सियम कारबोनेट (दन्त-शोधन कोटि)" को कालम 2 में यथा निर्दिष्ट पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए ।)	
(34) केस दढ़िकारक मिश्रण	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये जो भी कम हों ।	
(35) क्लोरिनेटिड पैराफिन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।,	
(36) डिक्लोरो बेन्जीन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रूपये जो भी कम हो	

1	2	3
परिशिष्ट 28—जारी		
	(37) डिआलिल फ्थेलेट (डीएपी)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये जो भी कम हो ।
	(38) डाइडसिल फ्थेलेट (डीआईडीपी)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये, जो भी कम हो ।
	(39) डाइनोनिल फ्थेलेट (डीएनपी)	वही
	(40) डिक्लोरो डिफ्ल्यूरा मिथेन गैस और फ्ल्यरोकार्बन 11, फ्ल्युरोकार्बन 12, फ्ल्युरोकार्बन 22 तथा उनके मिश्रणों को को छोड़कर और प्रशीतन और वातानुकूलन कार्यों में उपयोग होने वाले इसके उत्पाद ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 500 रुपये जो भी कम हो ।
	(41) डिएथिल फ्थेलेट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत ।
	(42) डिएमिथिल सल्फेट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये जो भी कम हो ।
	(43) ई०डी०टी०ए० और इसके सोडियम नमक	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये, जो भी कम हो ।
	(44) एथिल एसिटो–एसिटेट या एसिटो-एसेटिक एस्टर ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये जो भी कम हो ।
	(45) पैराहाईड्रोक्सी बेन्जोइक एसिड (मिथिल एथिल तथा प्रोपिल) के एस्टर्स.	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत ।
	(46) डाई तथा पालि ग्लाइकोल सहित एथिलीन ग्लाइकोल	वही

1	2	3

परिशिष्ट 28—जारी

(47) एथिलीन यूरिआ	लाइसस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।	
(48) फारमल-डिहाइट	वही	2.1/2 ,,
(48–ए) फ्यूमेरिक एसिड	वही	50 ,,
(49) फरफ्यूरल	वही	10 ,,
(50) गोल्ड साइनाइड, पोटासियम सोडियम गोल्ड साइनाइड, कापर साइनाइड, जिन्क साइनाइड तथा सिल्वर साइनाइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 पये जो भी कम हो ।	
(51) भेषज संहितानरूप/तकनीकी कोटि का हेक्सामाइन या इसके "एकार्थ" जैसे हेक्सा-मेथिलीन, टेट्रामाइन, मेथानेमाइन, एम्मोफोम्न, मोरमिन, सिस्टेमिन, सिस्टोजन, हेक्सेमेथिल एनेमाइन, एमिनोफोर्म, यूरिटान यूरोट्रोपिन ।	लाइसेस के अंकित मूल्य का 2 1/2 प्रतिशत ।	
(52) हाईड्रोजन-पर–आक्साइड	वही	5 प्रतिशत
(53) आइसोब्यूटिल अल्कोहल	वही	2.1/2 ,
(54) आइसोप्रोपिल (एसिटेट)	लाइसेस के अंकित मू य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये जो भी कम हो । "(इस मद का "आइसोप्रोपिल (आरगेनिक एसिटेट)" के रूप मे प्रदर्शित वर्तमान विवरण कालम 2 में यथा निर्दिष्ट पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए)।"	
(55) आइसोप्रोपिल ईथर	लाइसेस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।	

1	2	3
परिशिष्ट 28—जारी		
	(56) निम्नलिखित प्रयोगशाला तथा अभिक्रमक रसायन :— (1) मेथिल आइओडाइड शुद्ध कोटि (2) पोटासियम एमिल एक्सेन्थेट (3) पोटासियम एथिल एक्सेन्थेट (4) पोटासियम मेटाबाइसल्फाइट अनेलर क्वालिटी (5) सोडिअम बाइसल्फाइट शुद्ध और अनेलर क्वालिटी का । (6) सोडिअम एथिल एक्सेन्थेट (7) सोडियम आइसोप्रोपिल एक्सेन्थेट (8) सोडिअम मेटाबाइ सल्फाइट, शुद्ध तथा एनेलर क्वालिटी का ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 पये, जो भी कम हो ।
	(57) लारल पेरासमाइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत ।
	(58) हल्का मेगनीशियम कार्बोनेट सामग्री सहित मेगनीशियम ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये, जो भी कम हो । (परन्तु कम से कम 97 प्रतिशत मेगनीशियम आक्साइड के आयात की अनुमति लाइसेंस के अंकित मूल्य के 10 प्रतिशत तक दी जाएगी) ।

परिशिष्ट 28—जारी

1	2	3
	(59) मटेलिक एसिटेट (सोडियम और पोटाशियम जो आयात के लिए प्रतिबन्धित है, को छोड़कर)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत (इस मद के "मैटोलिक एसिटेट" के रूप में प्रदर्शित वर्तमान विवरण को कालम 2 में यथा निर्दिष्ट पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए)।
	(60) मेटा सब्स्टीटयूटिड अल्काइल फिनल (कारडेनल)।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये, इन में जो भी कम हो।
	(61) मेथिल एथिल केटान पराक्साइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250/– रुपए, जो भी कम हो।
	(62) मेटाल	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये, जो भी कम हो।
	(63) मोनो क्लोरा असेटिक एसिड और इसके सोडियम नमक	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये जो भी कम हो।
	(64) मोनो क्लोरा बेन्जीन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये, जो भी कम हो।
	(65) मस्क केटान	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत।

परिशिष्ट 28—जारी

1	2	3
	(66) मेथेनोल प्राविधिक	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250/- रुपये, जो भी कम हो ।
	(67) नेफ्थलीन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
	(68) ओरथो टोल्युईन सल्फोनेमाइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये, जो भी कम हो ।
	(68-ए) ओरथो डिक्लोरो बेन्जीन	वही
	(69) फिनाइल एसिटेमाइड ओसैटिक एसिड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत या 10,000 रुपये, जो भी कम हो ।
	(70) फिनाइल एसिटेमाइड	लाइसेस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये, जो भी कम हो ।
	(71) पेलेडिअम क्लोराइड	5 प्रतिशत या 2500 रुपये, जो भी कम हो ।
	(72) पैरा हाइड्रोक्सी बैन्जोइक एसिड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत ।
	(73) फिनेटिडाइन और पैरा फिनेटिडाइन	लाइसेस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।

1	2	3

परिशिष्ट 28—जारी

(74)	फेनोक्सी असेटिक एसिड और इसके नमक ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य/10 प्रतिशत
(75)	फास्फोरिक एसिड	लाइसेंस के अंकित मूल्य/का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये जो भी कम हो ।
(76)	फास्फोरस पेन्टोक्साइड	वही
(77)	पिकोलिन, बीटा तथा गामा	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2. 1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये, जो भी कम हो ।
(78)	पोटाशियम बाइकारबोनेट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये, जो भी कम हो ।
(79)	पोटाशियम कारबोनेट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2. 1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये, जो भी कम हो ।
(80)	पोटाशियम सिलिके	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये जो भी कम हो ।
(81)	रिसारसिनाल	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।

1	2	3
परिशिष्ट 28–जारी		
	(82) रबर रसायन जैसे एक्सिलरेटर्स, एन्टिआक्सिडैन्टस, रिटारडर्स पेपटाइजर्स, उद्धारक एजेन्टस और फूंक एजेन्टस (हेक्सामीन नमूनों से अन्य)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये जो भी कम हो ।
	(83) सोडियम अक्साइड	वही
	(84) सोडियम क्लोरेट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये जो भी कम हो ।
	(85) सोडियम सिलको फल्योराइड	वही
	(86) साल्वेन्ट नेपथा (हल्का तथा भारी)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये जो भी कम हो ।
	(87) स्ट्रोन्टिअम कारबोनेट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत
	(88) स्टाइरीन	वही 2.1/2
	(89) सक्सिनिक एसिड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये जो भी कम हो ।
	(90) सक्सिनेट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये जो भी कम हो ।
	(91) सल्फेनिक एसिड	वही
	(92) सबमर्जड एरो वैल्डिंग फलक्सिज	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
	(93) टरे टरपेनिआल	वही 10

1	2	3
परिशिष्ट 28—जारी		
	(94) टेट्रासोडियम पाइरोफास्फेट और सोडियम के अन्य पालिफास्फेटस	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये जो भी कम हो ।
	(95) ड्राइ क्रेसिल फास्फट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये जो भी कम हो ।
	(96) ड्राई-सोडियम फास्फेट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये जो भी कम हो ।
	(97) ग्लिसरीन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
	(98) फास्फोरेरस (अमोरफस) जैसे सफेद/पीला फास्फोरस ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 जो भी कम हो ।
परिशिष्ट 45.	आयल ब्लाक्स के निर्माण के लिए पेन्डुलम ब्लाक्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये इन में जो भी कम हो ।
परिशिष्ट 46 : स्टोरेज बैट्रिज के निर्माण के लिए निम्नलिखित कच्चे माल/संघटक :—		
	1. कच्चा सीसा 2. ऐंटिमोनि 3. ऐंटिमोनि धातुक 4. ऐंटिमिनियल सीसा	प्रत्येक मद के लिए लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये इन में जो भी कम होगा उसके लिए

1	2	3

परिशिष्ट 46—जारी

	5. आर्सेनिकल ऐंटिमोनियल लैड अलाय	स्वीकृति दी जाएगी ।
	6. विशेष ग्रेड वाले पी० वी० सी रेजिन्स (केवल पी वी सी विगलक के निर्माण के लिए	
	7. ग्लास वूल मैटस (रबड़ विलगक के निर्माण के लिए	
	8. बैटरी विलगक	
	9. माइक्रो सल्फर	
	10. शुद्ध टीन	
	11. ढला हुआ ताम्बा	
	12. लाल सीसा (केवल वायुयान की बैट्रियों के निर्माण के लिए)	

परिशिष्ट 47 : सूखी बैटरी सेल्स के निर्माण के लिए निम्नलिखित कच्चे माल/संघटक :—

	1. विशेष पी वीसी स्ट्रिप्स और स्लीवस	प्रत्येक मद के लिए लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये इनमें जो भी कम होगा उसके लिए स्वीकृति दी जाएगी ।
	2. ढले हुए रूप में जस्ता, केलाट्स और शीट्स	
	3. पारा	
	4. ढला हुआ सीसा	
	5. कैडमियम मैटल, विशेष कार्य के लिए बैटरी कान्टेक्ट और टर्मिनल पुर्जे	
	6. लैड इनगोट	

1	2	3

परिशिष्ट 47—जारी

परिशिष्ट 48 (ए) पीने के पानी वाले शीतक के निर्माण के लिए :—

(1) टीन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत
(2) ओवरलैंड रक्षक	वही 10 प्रतिशत
(बी) मी से कम वाले शीतक के निर्माण के लिए :—	
1/3 अश्व शक्ति से 3/4 अश्व शक्ति के उपर वाले सम्पीडक	वही 30 प्रतिशत
(सी) कमरे के वातानुकूलक के निर्माण के लिए :—	
(1) 8 एम्प्स से अधिक वाले थर्मोस्टेट्स (1—1/2 थन वातानुकूलक के निर्माण के लिए)	वही 5 प्रतिशत
(2) पिग्रानो स्विच	वही 5 प्रतिशत
(3) इलैक्ट्रोलिटिक स्टार्ट के केपिसेटर्स	वही 10 प्रतिशत
(डी) 1/8 अश्व शक्ति से 7. 1/2 अश्व शक्ति वाले सील्ड सम्पीडको के निर्माण के लिए :—	
(1) रिले के निर्माण के लिए 47 जी ए वाली ताम्बे के तार (2) फास्फर ब्रोन्च शीट्स/स्ट्रिप्स (3) बेरिलियम ताम्बा तार/स्ट्रिप्स	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000 रुपए जो भी कम हो ।

1	2	3
परिशिष्ट 48—जारी		
	(4) बाई-मेटल स्ट्रिप्स	
	(ई) अश्व शक्ति वाले तथा इससे अधिक वाले खुले किस्म के सम्पीडक के निर्माण के लिए :—	
	बेयरिंग के लिए विशेष प्रकार के बेयरिंग धातु	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत
	(एफ) बोतल शीतको मदिरा शीतको के निर्माण के लिए :-	
	ओवर लैड रक्षक	वही 5 प्रतिशत
परिशिष्ट 49	मुह सेवा मीटर्स के निर्माण के लिए :	
	(ए) संघटक	
	ज्वैल बेयरिंग्स	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये, जो भी कम हो।
	(बी) कच्चा माल	
	(1) जस्ता	वही
	(2) टीन	वही
	(3) सीसा	वही

टिप्पणी : अपने निर्यात व्यापार के आधार पर संभरण के अधिमानित स्रोतों के लिए पात्र इकाइयों के मामले में 5000 रुपये की अधिकतम मूल्य सीमा या इससे कम सीमा जैसा कि प्रत्येक मद के सामने निर्दिष्ट है, दूनी होगी।

ऐसी मदों के विषय में जिनके लिए अधिकतम मूल्य सीमा 5000 रुपये से अधिक है, परन्तु 10,000 रुपये से अधिक नहीं है तो, ऐसी निर्यातक इकाइयों के लिए इस सीमा को 10,000 रुपये तक बढ़ा दिया जाएगा ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात -निर्यात

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD. NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1971